संख्या- /1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-II

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, बहराइच, फर्रूखाबाद, कासगंज एवं बुलन्दशहर ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 28 जनवरी, 2016

विषयः वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-I, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 67,50,000/- (रूपये सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	फतेहपुर, पत्र संख्या-714, दिनांक 18 जनवरी, 2016	7,50,000 (कम्बल हेतु)
2	मुजफ्फरनगर, पत्र संख्या-64/65, दिनांक 20 जनवरी, 2016	5,00,000 (कम्बल हेतु)

3	हरदोई, पत्र संख्या-263, दिनांक 18 जनवरी, 2016	12,50,000 (कम्बल हेतु)
4	बहराइच, पत्र संख्या-2600, दिनांक 20 जनवरी, 2016	10,00,000 (कम्बल हेतु)
5	फर्रूखाबाद, पत्र संख्या-127, दिनांक 20 जनवरी, 2016	7,50,000 (कम्बल हेतु)
6	कासगंज पत्र संख्या-742, दिनांक 22 जनवरी, 2016	7,50,000 (कम्बल हेतु)
9	बुलन्दशहर, पत्र संख्या-3944, दिनांक 21 जनवरी, 2016	17,50,000 (कम्बल हेतु)
		रू0 67,50,000 **(रूपये सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)**

2- उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या-1161, दिनांक 19.01.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में अवशेष धनराशि रू0 6,80,000/- से तीन तहसीलों निजामाबाद, बूढ़नपुर एवं सगड़ी के लिये अतिरिक्त कम्बल क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। शासनादेश संख्या-1092/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0-I, दिनांक 04.11.2015 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)

सचिव।

संख्या- 54 (1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।